



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoe.frolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/161/2023/एफ.सी./295-

दिनांक : 10.08.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/147236/2021

विषय: बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-181/81-2-2023-800(176)/2023, दिनांक 28.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रणगत प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the proposal area proposed for diversion is 82.7212 ha. but according to the KML file it is 90.89 ha. which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.
2. The KML file of the chainage points needs to be provided. This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion.
3. As per the Google earth imagery dated 24.12.2022, in Harra Range Compartment No. 1, partial agriculture and plantation activity has been observed.
4. As per the Google Earth imagery in Domkhiri Compartment No. 1 and Robertsganj Compartment No. 2, the proposed CA land falls under the Barren/Rocky area.
5. As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna and Shivdwar Compartment falls under the Wild Life Sanctuary area. It needs to be ascertained that CA scheme is in accordance with prescription of Management Plan.
6. As per part-ii of the proposal, No. of trees proposed for felling are 2250 trees in Bahraich forest division, 6294 trees in Shrawasti forest division and 24897 trees in Gonda forest division. (Total- 33441 trees) which is not matching with total felling of trees proposed on State Govt. forwarding letter i.e. total 35693 trees. This needs clarification.
7. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.
8. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
9. NOC from concerned dept. (like Road, Irrigation Railway etc.) needs to be submitted.
10. The Site Inspection Report of the concerned Conservator of Forest needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती।
5. अधिषासी अभियंता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 420 /11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 16, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिषासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

